सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन,) बिजनौर

जनसूचना का अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्रमांक	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1.	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य	विभाग का मुख्य कार्य मोटर वाहन अधिनियम– 1988, केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली– 1989, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 तथा उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998 तथा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 में दिये गये नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। कार्यालय का समय प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक है।
2.	अपने अधिकारियों / कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य	अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते है एवं राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य करते है।
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षक और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	क्रम में अधिकारी एवं कर्मचारी निम्नवत् कार्यरत् हैः– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) वरिष्ठ सहायक, सहायक लेखाकार, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, प्रवर्तन सिपाही, चपरासी। कार्यालय मण्डावर रोड, भरत विहार कालोनी में स्थित है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापसान	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) / नियंत्रण अधिकारी का पद सृजित है, जिनका नियन्त्रण में कर संग्रह केन्द्र व कार्यालय के अधिनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा शासकीय कार्य किया जाता है।
5.	अपने निन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने ड्डत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम विनियम अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	विभाग में सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) एवं परिवर्तन, सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक), लिपिक वर्ग, चतुर्थ श्रेणी, कर्मचारी कार्यरत् है, जिनके द्वारा शासनादेश के अनुसार कार्य करते हुए अभिलेख सुरक्षित रखे जाते है।

6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण जो उनके द्वारा धारित किये गये है अथवा उनके नियन्त्रण में है।	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखें जाते है तथा नियमानुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के	विभाग द्वारा जिला स्तरीय तथा विभागीय उच्च अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना, सड़क सुरक्षा समिति, जिला परिवहन एवं यातायात सलाहकार समितियों की बैठकों में जनप्रतिनिधियों एवं सम्मानित सदस्यों द्वारा दिये गये निर्देशों/सुझावों का अनुपालन सुनिश्चित करना/कराना।
8	बोर्ड परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गयी हो और यह विवरण की क्या इन बोर्डों परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है और ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ है।	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मांशा के अनुरूप कार्य किया जाना।
9.	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।	विभाग के अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार के नियन्त्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते है। राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते है।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबन्धित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हो।	विभागीय नियमावली के अनुसार मासिक विवरण–पत्र सम्भागीय परिवहन अधिकारी मुरादाबाद उप–परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) बरेली तथा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये जाते है।
11.	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट	विभाग का बजट परिवहन आयुक्त उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आवंटन किया जाता है, जिसका नियमानुसार कर सूचना मुख्यालय लखनऊ को प्रेषित की जाती है।

12.	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्बन्धित है।	लागू नहीं
13.	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टया	लागू नहीं
14.	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।	सूचना को जनता तक पहुँचाने हेतु विभाग द्वारा समाचार–पत्रों सूचनापटल एवं अन्य प्रचार–प्रसार के साधनों से व्यवस्था की जाती है।
15.	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टयाँ जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपायों के लिए अनुरक्षित है तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं।	ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।
16.	जन सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टयाँ।	जनसूचना अधिकारी – डा0 ए0के0 गुप्ता सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) तथा सहायक जन सूचना अधिकारी श्री सुशील कुमार मिश्र सहायक सम्भीय निरीक्षक (प्राविधिक) बिजनौर है।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
बिजनौर